अनुदान संख्या 10 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10 - MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	745,10,00	745,11,00	722,21,00	-22,90,00
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,62,32
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		700,00,00	688,98,16	-11,01,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	2350.00	2058.48	2036.07	-22.41
पु.	R.	-291.52			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	2300.00	2150.00	2150.00	..
पु.	R.	-150.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1855.00	..	..	..
पु.	R.	-1855.00			
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	68005.00	68040.20	68034.93	-5.27
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	34.20			

(I) ₹1855.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1750.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला और लिग्नाइट – अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "क्षेत्रीय अन्वेषण" – ₹600.00 लाख; और

(खा) "विस्तृत वेधन" – ₹1150.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोयला कंपनियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कार्यान्वित की जाने

(I) Provision of ₹1855.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹1750.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- "Coal and Lignite - Other Expenditure"- under the following heads:-

(A) "Regional Exploration" - ₹600.00 lakhs; and

(B) "Detailed Drilling" - ₹1150.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-existence of any

वाली कोई भी स्कीम अस्तित्व में न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कोयला मंत्रालय" के अंतर्गत ₹313.93 लाख की बचत (₹2350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम – श्रम सामाजिक सुरक्षा – कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998" के अंतर्गत ₹150.00 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2803" – "कोयला और लिग्नाइट कम्पनियों को सहायता – कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास" के अंतर्गत ₹604.69 लाख की बचत (₹48355.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला कंपनियों से दावों की प्राप्ति न होने एवं कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹565.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2018 में मुख्य शीर्ष "2803" – "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – कोयला और कोक पर समाहरण उपकर (उत्पाद शुल्क) की अपेक्षा भुगतान" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹564.00 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2803" – "अन्वेषण एवं विस्तृत वेधन – कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹178.00 लाख का अधिक व्यय (₹14315.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का

scheme to be implemented in North Eastern Region and Sikkim by the coal companies.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Coal" - saving of ₹313.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2350.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2230"- "Labour - Social Security for Labour - Coal Mines Pension Scheme, 1998"- saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "2803"- "Assistance to Coal and Lignite Companies - Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines" - saving of ₹604.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48355.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from coal companies and receipt of less proposals.

2.(I) The above savings were partly (₹565.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2018 under Major Head "2803" - "Tribal Area Sub-Plan - Payment against collection of cess (excise duty) on coal and coke". Actual excess, however, was ₹564.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2803" - "Exploration and Detailed Drilling - Exploration of Coal and Lignite" - excess of ₹178.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14315.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for

पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4803"	Major head "4803"			
कोयला और लिग्नाइट पर पूंजीगत परिव्यय	Capital outlay on Coal and Lignite	70000.00	68898.16	-1101.84

(I) "अन्य व्यय – कोयला वाले क्षेत्रों का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹1101.84 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जमीन का स्वामित्व अधिकार/हक उपलब्ध न होने तथा कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure - Acquisition of Coal Bearing Areas" - saving of ₹1101.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs) was due to non-availability of ownership rights/titles of land and receipt of less proposals from Coal Public Sector Undertakings.